



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-521/NH-44/MSEDCL/2025-26/ 1859

Date: 16.09.2025

Invitation of Public Comments

Sub: Wadner-Deodhari-Kelapur-Maharashtra/Telangana Border (from km 94.000 to km 175.000 of NH-44, old NH-7) on Toll, Operate, Maintain & Transfer basis (InvIT Bundle-2) –**Proposal for grant of permission for laying of 11kv overhead HT line along Wadner Devadhari Section of NH-44 (km 94-132), from Ch. 105.300 to Ch. 106.000 (RHS) for the total length of 0.7km in the State of Maharashtra-Reg.**

Ref.:

1. PD, PIU Nagpur letter no. 1192 dated 08.09.2025.
2. EE, MSEDCL, Hinganghat letter no. 1075 dated 22.04.2025.

It is to inform all concern that EE, MSEDCL, Hinganghat letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU, Nagpur has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that EE, MSEDCL, Hinganghat is as follows:

- Laying O/H line from Ch. 105.300 to Ch. 106.000 (RHS)

3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

4. In view of the above, the comments / objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016 due to above utility line on the subjected stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments/ objections will be accepted.

The Regional Officer,

Regional Office - Nagpur

National Highways Authority of India,

"Narang Towers", 3rd Floor,

Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),

Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra

Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

16.9.25

(निर्मल एम. झाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

Copy to:

1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi- for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi- for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in].



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-521/NH-44/MSEDCL/2025-26/ 1859

दिनांक: 16.09.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का निमंत्रण

विषय: वडनेर - देवधारी - केलापुर - महाराष्ट्र/तेलंगाना सीमा (एनएच-44, पुराने एनएच-7 के किमी 94.000 से किमी 175.000 तक) टोल, संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण के आधार पर (इनविट बंडल-2) -वाडनेर के साथ 11 केवी ओवरहेड एचटी लाइन बिछाने की अनुमति देने का प्रस्ताव एनएच-44 का देवधारी खंड (किमी 94-132), चौ. 105.300 से चौ. 106.000 (आरएचएस) तक महाराष्ट्र राज्य में 0.7 किमी की कुल लंबाई के लिए-रेग।

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू नागपुर पत्र क्रमांक 1192 दिनांक 08.09.2025.
2. ईई, एमएसईडीसीएल, हिंगणघाट पत्र संख्या 1075 दिनांक 22.04.2025।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि ईई, एमएसईडीसीएल, हिंगणघाट ने संदर्भ (2) के तहत पत्र के तहत विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीडी, पीआईयू, नागपुर ने मक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत पत्र के तहत उपरोक्त प्रस्ताव की मिफागिश की है।

2. कार्यकारी अभियंता, एमएसईडीसीएल, हिंगणघाट द्वारा प्रस्तावित संरक्षण इस प्रकार है:
 - चैनल 105.300 से चैनल 106.000 (RHS) तक ओ/एच लाइन बिछाना
3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एम गंड आर (आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपत्तियाँ (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।
4. उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में, संबंधित खंड पर उपरोक्त उपयोगिता लाइन के कारण प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ जनता की टिप्पणियाँ जारी होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं। नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर", तीसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाईन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल : ronagpur@nhai.org

(Handwritten Signature)

(निर्मल एम झाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

1. वेब प्रशासन , एनएचआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचआई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [web-admin@nhai.org]
2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट [mansoor@nic.in] पर अपलोड करने के लिए।

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075